न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

RAAJodhpur2020-0121RTA225 Pukhraj etc Vs Thanaram n ors

1. पुखराज पुत्र चुन्नीलाल
2. बाबुलाल पुत्र चुन्नीलाल
3. चम्पालाल पुत्र चुन्नीलाल
4. लक्ष्मीनाराचण पुत्र चुन्नीलाल
5. श्रीमती मनुदेवी पुत्री चुन्नीलाल
6. जीतुदेवी पुत्री चुन्नीलाल

सभी जातियान् दर्जी निवासीयान ग्राम देड़ा तहसील बालेसर जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. थानाराम पुत्र पुंजाराम
2. हुक्माराम पुत्र पुंजाराम
3. चंदणाराम पुत्र पुंजाराम

सभी जाति दर्जी निवासीयान ग्राम देड़ा तहसील बालेसर जिला जोधपुर

4. शेराराम पुत्र सांगाराम
5. श्रीमती केकुदेवी पत्नी सांगाराम
6. स्वरूपाराम पुत्र रामाराम
7. सवाईराम पुत्र नखताराम
8. देवाराम पुत्र नखताराम
9. श्रीमती चम्पादेवी पत्नी नखताराम
10. कबाराम पुत्र रेवतराम
11. मोतीराम पुत्र रेवतराम
12. इन्द्राराम पुत्र रेवतराम
13. श्रीमती समदा पत्नी रेवतराम
14. भंवरलाल पुत्र दीपाराम
15. श्रीमती भूरी पत्नी दीपाराम

सभी जाति दर्जी निवासीयान ग्राम देड़ा तहसील बालेसर जिला जोधपुर

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 15 सितंबर 2020 राजस्व प्रकरण संख्या 119/2020 पुखराज वगैरह बनाम थानाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या बारह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सोलह

नि र्ण य

दिनांक : 18 सित. 2020

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 119/2020 पुखराज व अन्य बनाम थानाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 सितंबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 17 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गुमानसिंह नगर (देड़ा) पटवार हल्का देड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमू तहसील सेखाला जिला जोधपुर के खसरा संख्या 704 रकबा 142 बीघा पर वक्त सेटलमेंट से अपीलांट् एवं रेस्पोडेंट संख्यार 1 से 5 के पूर्वजों पूंजा, मगा, भारू, पुत्रान जेठा कोम दर्जी का कब्जा काश्त होने के कारण सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के पूर्वज पूंजा, मगा, भारू पुत्रान जेठा कोम दर्जी के नाम से पैमाईश की जाकर पर्चा लगान जारी किया गया एवं मिसल बंदोबस्त एवं राजस्व रेकर्ड में अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के पूर्वज पूंजा, मगा, भारू पुत्रान जेठा कौम दर्जी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। पूंजा व भारू का देहांत सन 1976 के लगभग होने पर फौतेदगी तामांतरकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 225 ग्राम पंचायत देड़ा द्वारा दिनांक 21.12.1976 को स्वीकार किया गया उक्त नामांतरकरण संख्या 225 में पूंजा के वारिसान थाना, हुक्मा चनणा पुत्रान पूंजा एवं भारू के वारिस सांगाराम के नाम दर्ज किया गया। यहा पर उल्लेख करना आवश्यक है कि ग्राम पंचायत देड़ा ने नामांतरकरण संख्या 225 स्वीकृत करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना रेंस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के पूर्वज रामाराम वल्द नवलाराम कौम दर्जी के नाम 1/2 हक हिस्से में दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त खसरा रकबा में रामाराम वल्द नवलाराम का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं था। अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 के पूर्वज अनपढ व भोले भाले स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण राजस्व रेकर्ड की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के पूर्वज रामाराम वल्द नवलाराम का वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा अधिकार कब्जा काश्त नही था वर्तमान में प्रत्यर्थीगण संख्या 6 से 15 का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। लेकिन तत्कालिन हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में विधि विरुद्ध तरीके से सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना रामाराम का नाम दर्ज कर दिया गया। गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर रेस्पोंड संख्या 6 से 15 को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 704 के किसी प्रकार का हक हिस्सा अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। खसरा संख्या 704 का विधि विरुद्ध तरीके से आपसी बंटवाड़ा बताकर राजस्व रेकर्ड में अलग अलग दर्ज करवा दिया। जिसके नये खसरा नं. 704/2 रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के पक्ष में रखा गया। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 को यह पूर्ण जानकारी थी कि खसरा संख्या 704/2 रकबा 69.04 बीघा कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 ने जानबूझकर गलत तथ्यों के अधारा पर उक्त खसरा सख्या 704/2 रकबा 69.04 बीघा कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त कर ली। अपीलांट्स को जब गलत राजस्व रेकर्ड की जानकारी होने पर अपीलांट ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 को राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 6 से 15 ने गांव के मौजिज व्यक्तियों के रुबरु राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करवाने हेतु सहमत हो गये तथा राजस्व रेकर्ड मे गलत विधि विरुद्ध तरीके से दर्ज नाम को हटाने के लिए अपनी सहमति दे दी। लेकिन कुछ समय पश्चात् रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 ने लोगो के बहकावे में आकर दिनांक 25.01.2018 को राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करवाने एवं अपना नाम राजस्व रेकर्ड में हटवाने से स्पष्ट मना कर दिया। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत् खातेदारी घोषणा रेकर्ड दुरुस्ती का प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। प्रत्यर्थीगण संख्या 6 से 15 गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी के 1/2 पर जबरदस्ती कब्जा करने एवं अपीलांट्स को बेंदखल करने की धमकिया दे रहे। रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 को यह कोई विधिक अधिकार नहीं कि गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर अपीलांट्स के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करे या विधिर विरुद्ध तरीके से बेदखल करें। रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 की विधि विरुद्ध कृत्यो को रोकने के लिए रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के विरुद्ध अपीलांट्स ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 ने माननीय न्यायालय में जवाब दावा एवं दस्तावेजात प्रस्तुत किये। प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रत्यर्थीगण को यह जानकारी हो गई कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के पूर्वजो का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं था। रेस्पाडेंट संख्या 6 से 15 के पूर्वज रामाराम ने विधि विरुद्ध तरीके से सक्षम अधिकारी न्यायालय के आदेश के बिना ही जमाबंदी में रामाराम को 1/2 हिस्सा दर्ज करवा दिया। यहा पर उल्लेख करना आवश्यक है कि रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिससे जाहिर होता हो कि अपीलांट्स के पूर्वजो ने राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के पूर्वज रामाराम का नाम दर्ज करवाने की सहमति दी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हो एवं सहमति के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के पूर्वज का नाम सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया हो। यहा पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजी का बेचान हस्तांतरण भूमाफियाओं को कर दिया जायेगा। रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 को यह कोई विधिक अधिकार नहीं है कि गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बेचान करें। रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के विधि विरुद्ध कृत्य रोकने के लिए रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के दस्तावेजात से संतुष्ट होकर दिनांक 04.08.2020 को आगामी तारीख पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2020 की नकल अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार पदेन उप-पंजीयक बालेसर के समक्ष दिनांक 04.08.2020 को ही प्रस्तुत की। लेकिन उप-पंजियक बालेसर ने स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए बेचान दस्तावेज पंजीकृत करवा दिया। रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 को स्थगन आदेश की जानकारी दिनांक 04.08.2020 को ही हो गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 एवं 6 से 15 की ओर से दिनांक 06.08.2020 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब एवं प्राथमिक आपत्तियां एवं अतिरिक्त कथन प्रस्तुत किया। अपीलांट्स की ओर से जवाबुल-जवाब जवाब प्राथमिक आपत्तियां एवं जवाब अतिरिक्त कथन दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत किया। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स संख्या 4 से 5 के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए डी से तारीख पेशी 02.09.2020 के लिए भेजे गय। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली दिनांक 04.09.2020 को मुर्करर की गई लेकिन दिनांके 04.09.2020 को न्यायालय में न्यायिक कार्य नहीं होने के कारण तारीख पेशी दिनांक 20.10.2020 को मुकर्रर की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिनांक 15.09.2020 को आदेश पारित किया गया। जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट्स द्वज्ञरा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये अभिवचनों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.09.2020 को न्यायिक कार्य नही होने के कारण हस्तगत प्रकरण आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.10.2020 को मुकर्रर की गई। अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रकरण तारीख पेशी दिनांक 09.09.2020, 11.09.2020 एवं 15.09.2020 को मुकर्रर नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मनमाना है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश की अवधि आगे नहीं बढाने के कोई कारण ही अंकित नही किया। यहा पर उल्लेख करना आवश्यक है कि हस्तगत पत्रावली वास्ते प्रत्यर्थी संख्या 5 के जवाब के लिए विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कौनसी मजबूरी थी कि पत्रावली की सुनवाई जल्दी जल्दी रखकर स्थगन आदेश को आगे नहीं बढाया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया कि अपीलांट्स के अधिवक्ता की बहस सुनी गई लेकिन अपीलांट्स के अधिवक्ता की बहस के दौरान तर्क अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जिसका अपीलाधीन आदेश में कोई हवाला नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 04.08.2020 की अवहेलना करते हुए बेचान दस्तावेज निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो को पाबंद किया जावे कि मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से रेस्पोडेंट्स के हितो पर क्या प्रभाव पड़ता है जिससे अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ऐसा विधि विरुद्ध आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित करना पड़ा। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जावे कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि रेस्पो. संख्या 6 से 15 विवादग्रस्त मूल खसरा नं. 704/2 के खातेदार काश्तकार है तथ उनका खसरा अपीलांट्स के पृथक है। इसलिए उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यो के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विधि सम्मद आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक आद्योपान्त अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2020 को अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनने के पश्चात विवादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम गुमानसिंह नगर पटवार हल्का देड़ा तहसील सेखाल के खसरा न. 704/1 रकबा 69.04 बीघा खसरा नं. 704/2 रकबा 69.04 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विवादग्रस्त भूमि का विशिष्ठ भू-भाग दर्शाकर बैचान, हस्तांतरण, निर्माण कार्य नहीं करने तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.09.2020 तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश जारी किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2020 बिना किसी विवेचन एवं कारण स्पष्ट किये पूर्व प्रसारित अस्थाई आदेश दिनांक 04.08.2020 को आगे नहीं बढाने का आदेश पारित किया गया। साथ ही रेस्पोडेंट संख्या 6 से 15 द्वारा दिनांक 06.08.2020 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विवादग्रस्त भूमि बेचान रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने पर उतारू है। यदि वादग्रस्त आराजियात अथवा उसके किसी भू-भाग के बेचान/हस्तान्तरण अथवा मौके की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन किसी एक पक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में दूसरे पक्ष को गम्भीर असुविधा एंव अपूरणीय क्षति होने एवं पक्षकारान के मध्य अनावश्यक तनाव एवं वादकरण बढने की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 सितंबर 2020 अपास्त किया जाता है। उभय पक्ष के द्वारा प्रदत सहमति के क्रम में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रदत आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.10.2020 को ही रेस्पोडेंट संख्या 5 का जवाब लेकर अन्यथा जवाब बंद किया जाकर उभय पक्षकारान् की समुचित सुनवाई कर अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल तीन बिंदुओं का निर्धारण कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण कर दे। तब तक अर्थात् आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.10.2020 तक विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 704/1 रकबा 69 बीघा 04 बिस्वा तथा खसरा संख्या 704/2 रकबा 69 बीघा 04 बिस्वा वाके मौजा देड़ा की **राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे और उक्त आराजियात का किसी भी प्रकार से बेचान अथवा हस्तानान्तरण नहीं किया जावे।** उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.10.2020 को उपस्थित हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर